

१७/७/११

आज यह पत्रावली वादी के प्रा. पत्र पर  
कार्यालय से तलब की गई। वादी मय वकील  
उपस्थित प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया  
कि गांव के व्यक्तियों ने हमारा शरीनामा  
करा दिया है। अब किसी प्रकार का  
विवाद नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर  
पर विद्वो करमाया जावे। प्रस्तुत प्रा. पत्र  
पर वादी एवं वकील वादी को सुना गया।  
प्रा. पत्र वादी स्वीकार किया जाकर दावा  
वादी इसी स्तर पर विद्वो किया जाता  
है। पत्रावली दारिबल दफ्तर ही।

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डीग)